विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2016/ 4477 दिनांक :- 4.12.16

कार्यपरिषद्
की
बैठक की कार्यविवरण

स्थान :- माधव भवन, उज्जैन

तिथि :- 03 दिसम्बर 2016
समय :- अपरान्ह : 03:00 बजे

-:: उपस्थिति :-

01.	प्रो. एस.एस.पाण्डेय	कुलपति एवं अध्यक्ष
02.	डॉ. बृजेन्द्र सिंह चौहान	सदस्य
03.	डॉ. बी.के. मेहता	सदस्य
04.	श्री हरनामसिंह यादव	सदस्य
05.	श्री सौरभ तिवारी	सदस्य
06.	श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर	सदस्य
07.	सुश्री कविता सूर्यवंशी	सदस्य
08.	डॉ. लक्ष्मी दत्ता	सदस्य
09.	डॉ. प्रतिभा कोठारी	सदस्य
10.	सुश्री आरती शर्मा (संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा उज्जैन संभाग)	सदस्य
11.	डॉ. एस.सी.आर्य	कुलसचिव एवं सचिव

माननीय कुलपतिजी एवं कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद के सम्माननीय सदस्यों के साथ नवागत कार्यपरिषद सदस्य डॉ. बी. एस. चौहान एवं डॉ. बी. के. मेहता का स्वागत किया गया। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

महामहिम राज्यपाल मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक/एफ-6-1/2016/रा.स./यू.ए.1/1080 दिनांक 19.09.2016 के अनुसार विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 7202 पर निर्मित आश्वासन क्रमांक 940 के संबंध में परीक्षा परिणाम में मूल्यांकन प्रक्रिया में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई है कि जानकारी चाही गई जिस पर सदन में 0.18 प्रतिशत अधिक त्रुटि होना पाया गया है। उक्त आशय की सूचना माननीय कुलपतिजी द्वारा सदन को दी गई। यदि भविष्य में जिससे भी गलतियां होगी तो उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

माननीय सदस्यों द्वारा सूचना ग्राह्य की गई।

बैठक के प्रारम्भ में संबद्धता से संबंधित प्रश्न श्री हरनाम सिंह यादव, सदस्य द्वारा उठाया गया, जिसमें पूर्व न्यायाधीश श्री सिद्धिकी साहब के अस्वस्थ होने के कारण किसी अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा एक माह में उक्त प्रक्रिया को पूर्ण करने की कार्यवाही की जाये, यथा कुलपतिजी को अधिकृत किया गया।

विषय क्र.01. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18 जुलाई 2016 एवं कार्यपरिषद् की आपात बैठक दिनांक 13 सितम्बर 2016 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।
(कार्यविवरणो की प्रति संलग्न)

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18 जुलाई 2016 एवं कार्यपरिषद् की आपात बैठक दिनांक 13 सितम्बर 2016 के कार्यविवरण को अनुमोदित किया जाये।

(क्रियान्वयन– अकादमिक विभाग)

विषय क्र. 02. विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक14.07.016,26.07.016,29.07.016,02.08.016, 05.08.016,12.08.016,26.08.016,02.09.016,30.09.016,एवं 19.10.016, के कार्य विवरणों पर विचार।
(कार्यविवरणों की प्रति संलग्न)

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक14.07.016,26.07.016,29. 07.016,02.08.016, 05.08.016,12.08.016,26.08.016,02.09.016,30.09.016,एवं 19.10.016, के कार्य विवरणों को अनुमोदित किया जाये।

(क्रियान्वयन– अकादमिक विभाग)

विषय क्र. 03. शोध अभ्यार्थीयों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।
(सूची पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।)

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि शोध अभ्यार्थीयों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राह्य की जाये।

(क्रियान्वयन– गोपनीय विभाग)

विषय क्र. 04. विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष आयोजित संभागीय एवं राज्य स्तरीय युवा उत्सव हेतु मानदेय एवं राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को ब्लेजर/क्रेस्ट प्रदाय करने पर विचार।

निर्णय :– प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष आयोजित संभागीय एवं राज्य स्तरीय युवा उत्सव हेतु मानदेय में आंशिक वृद्धि करते हुये निम्नानुसार मानदेय दर स्वीकृत की जाती है।

क्र.	विवरण	पूर्व की दर	नवीन दर
1	निर्णायक/अध्यक्ष	रू. 450/– एवं रू0 50/–	रू. 500/– प्रतिदिन एवं रू. 100/– वाहन भत्ता
2	संगतकार	रू. 1000/–	रू. 1000/- प्रतिदिन
3	दल प्रबंधक	रू. 1000/–	रू. 1000/– प्रतिदिन
4	आयोजन हेतु समिति के सदस्यो के साथ–साथ ड्यूटी मे संलग्न कर्मचारियो को देय वाहन भत्ता	रू. 50/–	रू. 100/– प्रतिदिन

2 प्रस्ताव अनुसार राज्य स्तरीय उत्सव में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को नियमानुसार ब्लेजर/क्रेस्ट प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन– लेखा/वि.क.वि./शा.शिक्षा विभाग)

विषय क्र. 05. वित्त समिति की बैठक दिनांक 05.11.2016 के कार्य विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :– वित्त समिति की बैठक दिनांक 05.11.2016 के कार्य विवरण के अनुमोदन किया जाये। इसके साथ ही रूसा के बजट प्राप्त होने की प्रत्याशा में अध्यक्ष की अनुमति के विषय क्रमाक 6 पर प्रशासनिक स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन– लेखा विभाग)

विषय क्र. 06. विश्वविद्यालय परिसर में सी.सी.टीवी सर्विलेंस सिस्टम लगवाने पर विचार।

टीप :–विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन/विभिन्न अध्ययनशालाओं तथा अन्य विभागों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में गठित समिति का मानना था कि विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न अध्ययनशालाओं, विभागों एवं प्रशासनिक भवन में लगभग 210 सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने है तथा इन सीसीटीवी कैमरों की नेटवर्किंग भी करायी जाना आवश्यक है, ताकि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हुये सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकें।

2. गठित समिति का यह भी मानना था कि चूंकि इस वित्तीय वर्ष में रूसा योजना के तहत् विश्वविद्यालय को राशि प्राप्त होने की पूरी संभावना है, अतः सीसीटीवी कैमरे एवं नेटवर्किंग हेतु आवश्यक समस्त उपकरणों की दरें तो आमंत्रित कर ली जावें, लेकिन सीसीटीवी कैमरे/नेटवर्किंग उपकरण की न्यूनतम दर का निर्धारण होने पर राशि की वास्तविक उपलब्धता को देखते हुये सीसीटीवी कैमरे की संख्या का निर्धारण एवं नेटवर्किंग उपकरणों का क्रय करने का निर्णय लिया जावें।

3. अतः गठित समिति की बैठक दिनांक 14.06.2016 में की गई अनुशंसा का अनुमोदन माननीय कुलपतिजी से प्राप्त कर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन/विभिन्न अध्ययनशालाओं एवं अन्य विभागों में सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम लगाने हेतु खुली निविदा पद्धति के तहत् राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय (उज्जैन, इन्दौर एवं भोपाल) के एक–एक समाचार–पत्र में विज्ञप्ति जारी की गयी। जारी विज्ञप्ति के तहत् केवल दो फर्मो से ही सीलबंद लिफाफे प्राप्त हुये, अतः समिति का मानना था कि प्रथम आमंत्रण में कम से कम तीन निविदायें प्राप्त होना आवश्यक है, ताकि न्यूनतम दर का निर्धारण तुलनात्मक रूप से विधिवत रूप से हो सकें। पुनः माननीय कुलपतिजी से अनुमोदन प्राप्त कर द्वितीय बार सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम के लिये खुली निविदा के तहत् विज्ञप्ति राष्ट्रीय समाचार–पत्र द हिन्दु एवं राज्य स्तरीय समाचार–पत्र इन्दौर, उज्जैन एवं भोपाल के एक–एक समाचार–पत्र में जारी करने के लिये पुनः विज्ञप्ति जारी की गयी। जारी विज्ञप्ति अनुसार द्वितीय आमंत्रण पर निर्धारित अंतिम दिनांक 17.10.16 समय 01:30 बजे तक निम्नलिखित चार फर्मो से सीलबंद लिफाफे प्राप्त हुये।

1. हिमालय ट्रेडर्स, भोपाल
2. निधि इंडस्ट्रीज, ग्वालियर
2. डिजीटल इंडिया सिक्यूरिटी प्रोडेक्ट प्रा.लि.,भोपाल
4. हस्थी कम्प्यूटर, इन्दौर

4. अतः समिति द्वारा इन चार फर्मो से प्राप्त तकनीकी बिड का परीक्षण कर समुचित कार्यवाही की जा रही है। इन फर्मो की तकनीकी बिड मान्य होने पर इन फर्मो की वित्तीय बिड को खोला जावेगा तथा जिस फर्म द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन/विभिन्न अध्ययनशालाओं एवं अन्य विभागों में सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम लगाने हेतु न्यूनतम दर देते हुये, निविदा की शर्तो को मान्य किया जावेगा, उस फर्म से सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम क्रय कर विधिवत रूप से संस्थापित करवाया जावेगा, अतः सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम क्रय कर विधिवत रूप से संस्थापित करवाये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम लगवाने पर विचार–विमर्श किया गया। कार्यपरिषद का यह मानना है कि विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम लगवाया जाना अति–आवश्यक है। अतः खुली निविदा से प्राप्त न्यूनतम दर पर सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम लगवाये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन– प्रशासन/भंडार विभाग)

विषय क्र. 07. विश्वविद्यालय परिसर में सौलर लाईट लगवाने पर विचार।

टीप :–वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर में स्थित माधव भवन केवल एक सौलर लाईट संस्थापित है, जो सुचारू रूप से कार्य कर रही है। यह सौलर लाईट एक वर्ष पूर्व नेक टीम के निरीक्षण के समय लगवायी गयी थी। इस एक सौलर लाईट के अलावा विश्वविद्यालय परिसर में ओर कही भी सौलर लाईट संस्थापित नहीं है।

2. यहां उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर की स्ट्रीट लाईट पर लगभग रुपये 4.00 लाख का प्रतिवर्ष व्यय होता है। वर्तमान में स्ट्रीट लाईट में सोडियम लेम्प, सीएफएल लेम्प तथा ट्यूब लाईट का उपयोग हो रहा है। यदि विश्वविद्यालय परिसर की स्ट्रीट लाईट में सौलर लाईट का उपयोग किया जाय, तो इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि विश्वविद्यालय को विद्युत देयक के भुगतान में जो वित्तीय भार पड़ता है, उसमें काफी कमी आ सकती है। इसके साथ ही सौलर लाईट के उपयोग से पर्यावरण पर भी इसका अच्छा प्रभाव होगा।

3. अतः विश्वविद्यालय परिसर में आवश्यकतानुसार सौलर लाईट का नियमानुसार क्रय करने की प्रशासकीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय में नियमानुसार सौलर लाईट लगवाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन– प्रशासन/यांत्रिकी विभाग)

विषय क्र. 08. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु अनुबंधित फर्म मे. माईक्रोनिक इन्फोटेक सर्विस प्रा.लि., अजमेर द्वारा दी जा रही सेवाओं को निरन्तर रखने पर विचार।

टीप :–उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2016–17 में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु अनुबंधित फर्म मे. माइक्रोनिक इन्फोटेक सर्विस प्रा.लि. , अजमेर द्वारा दी जा रही सेवाएं निरन्तर रूप से संतोषजनक नही पायी जा रही है, जिसके कारण जहां एक ओर परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो पा रहे है, वहीं दूसरी ओर जो अंकसूचियां इस फर्म द्वारा प्रदान की जा रही है, वह समय पर प्राप्त नहीं हो रही है, जिसके कारण विद्यार्थियों को अनावश्यक अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

2. यहां उल्लेखनीय है कि प्रबंधक,माइक्रोनिक इन्फोटेक सर्विस प्रा.लि.,अजमेर को विश्वविद्यालय के पत्र क्रं./परीक्षा/2016/630, दिनांक 06.10.2016 एवं पत्र क्रं. /परीक्षा/2016/632, दिनांक 06.10.2016 को भेजे गये। भेजे गये पत्र द्वारा यह अवगत कराया

गया कि आपकी फर्म द्वारा सत्र 2016–17 हेतु जो परीक्षा संबंधी कार्य किया जा रहा है, वह त्रुटिपूर्ण होने के कारण विभाग में अनेक समस्याऐं उत्पन्न हो रही है, इस संबंध में समय–समय पर आपको अवगत कराने के पश्चात् भी त्रुटियों में सुधार नहीं किया जा रहा है तथा परिलक्षित अनेक त्रुटियों को लिखित में सूचित करते हुये, उनमें सुधार करने का अनुरोध, संबंधित फर्म से किया गया तथा पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि फर्म द्वारा जो त्रुटियां की गयी है, उसके लिये अनुबंध के अनुसार दण्ड दिया जावेगा तथा फर्म को ब्लेक लिस्ट करने एवं अनुबंध अनुसार कार्यवाही की जावेगी। यद्यपि फर्म द्वारा अपने पत्र दिनांक 16.10.2016 द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुये, यह लेख किया गया है कि किसी भी प्रकार के परीक्षा परिणाम एवं टीआर में कोई प्रिंटिग में यदि कोई त्रुटि है, तो समय पर बताना विश्वविद्यालय की भी नैतिक जिम्मेदारी है, अतः इस दृष्टि से यह त्रुटि फर्म की नहीं है। इस फर्म द्वारा दिनांक 15.10.2016 को एक अन्य पत्र लिखकर बिन्दुवार जानकारी देते हुये, तथ्यात्मक टिप्पणी दी गयी है।

3. यहां विशेष तौर से उल्लेखनीय है कि मुख्य समन्वयक, गोपनीय विभाग द्वारा नोटशीट पर दी गयी टीप दिनांक 08.11.2016 में यह स्पष्ट किया गया कि मे. माइक्रोनिक इन्फोटेक सर्विस प्रा. लि., अजमेर द्वारा तैयार किये जा रहे परीक्षा परिणामों से संबंधित कार्य समय पर नहीं करते है और जो कार्य किया जाता है, उनमें त्रुटियां पायी जाती है, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है एवं विश्वविद्यालय की छबि धुमिल हो रही है। उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया है कि इस फर्म के अनुबंध को निरस्त कर, निविदा में दूसरे क्रम पर रही फर्म से चर्चा कर सहमति प्राप्त की जाना उचित होगा।

4. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में विधि सलाहकार से एक विधिक अभिमत भी लिया गया है, जिसमें विधिक सलाहकार द्वारा लेख किया गया है कि फर्म को दूसरा पत्र दिया जाकर, उसका अनुबंध निरस्त किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जाना उचित होगा। फर्म को व्यक्तिगत रूप से भी विश्वविद्यालय में बुलाकर उससे चर्चा कर, उसका अनुबंध निरस्त किया जाने की कार्यवाही की सकती है।

5. यहां यह भी विशेष तौर से उल्लेखनीय है कि संबंधित फर्म को विश्वविद्यालय के पत्र क्र /परीक्षा/2016/713, दिनांक 16.11.2016 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र अनुबंध दिनांक 17.05.2016 को निरस्त किये जाने के संबंध में दिया गया है। फर्म को अपना स्पष्टीकरण सात दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

6. अतः मे. माइक्रोनिक इन्फोटेक सर्विस प्रा.लि., अजमेर की सेवाओं को समाप्त करने तथा पूर्व में जारी खुली निविदा के तहत् द्वितीय न्यूनतम दर बतलाने वाली फर्म से परीक्षा परिणाम संबंधित कार्य सम्पन्न कराये जाने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम तैयार करने के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा कर विचार–विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद में प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य करते हुये अनुबंधित फर्म मे. माइक्रोनिक इन्फोटेक सर्विस प्रा.लि. अजमेर द्वारा दी जा रही सेवाओं को तत्काल बंद कर, अनुबंध की शर्त अनुसार कड़ी कार्यवाही करते हुये विधि अनुसार द्वितीय न्यूनतम दर कोट करने वाली फर्म से विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम तैयार करने के संबंध में तत्काल समुचित कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन– परीक्षा/गोपनीय विभाग)

विषय क्र. 09. विश्वविद्यालय की क्रीड़ा समिति की अनुशंसा अनुसार विभिन्न खेल दलों में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों हेतु ब्लेजर/ट्रेकसूट के क्रय रूपये 8,83,607/–(अक्षरी आठ लॉख त्रियासी हजार छःसौ सात रूपये मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

टीप :–उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 11.08.2016 को आयोजित क्रीड़ा समिति की बैठक में केवल सत्र 2013–14 एवं वर्तमान सत्र 2016–17 हेतु सिले हुये ब्लेजर/ट्रेकसूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

2. यहां उल्लेखनीय है कि निदेशक, शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 हेतु विभिन्न महाविद्यालयों में ट्रेकसूट/ब्लेजर के मांगपत्र अनुसार कुल 247 खिलाड़ियों को ट्रेकसूट एवं 240 खिलाड़ियों को ब्लेजर दिया जाना है। वर्ष 2016–17 हेतु विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की अनुमानित संख्या 450 बतलायी गयी है। निदेशक, शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2016–17 हेतु 450 ट्रेकसूट एवं 300 ब्लेजर का क्रय किया जाना प्रस्तावित किया गया हैं।

3. अतः शारीरिक शिक्षा विभाग हेतु निम्नानुसार ट्रेकसूट एवं ब्लेजर का क्रय पूर्व की अनुमोदित दर पर अनुमोदित फर्म (ट्रेकसूट हेतु नार्थ मालवा स्पोटस, उज्जैन एवं ब्लेजर हेतु इन्दौर बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर) किया जाना प्रस्तावित हैं :–

वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2016–17 हेतु	संख्या	दर	कुल राशि
1. ट्रेकसूट	697	431	300407/–
2. ब्लेजर	540	1080	583200/–
कुल योग			**883607/–**

4. यहां विशेष तौर से उल्लेखनीय है कि शारीरिक शिक्षा विभाग हेतु क्रय किये जाने वालेट्रेकसूट एवं ब्लेजर के क्रय पर होने वाला अनुमानित व्यय रुपये 883607/– का है, यह व्यय वर्ष 2016–17 के आयोजनेत्तर बजट मद 8(10) ब्लेजर एवं क्रेस्ट (क्रीड़ा एवं विद्यार्थी कल्याण विभाग सहित) में प्रावधानित राशि रुपये 18.00 लाख से विकलनीय होगा, अतः होने वाले अनुमानित व्यय रुपये 883607/– की प्रशासकीय स्वीकृति कार्यपरिषद् से लिये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की क्रीड़ा समिति की अनुशंसा अनुसार विभिन्न खेल दलों मे प्रतिनिधित्व करने वाले सिखलाड़ियों हेतु ब्लेजर/टेकसूट के क्रय रूपये 883607/– की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन–वि.क.वि./शा.शिक्षा/भंडार/लेखा विभाग) भंडार

विषय क्र. 10. शासन के आदेशानुसार शा.कालिदास कन्या महाविद्यालय,उज्जैन का नाम परिवर्तित कर शा. कालिदास कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन किया गया एतद् सूचनार्थ। (पत्र की छायाप्रति संलग्न)

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि उक्त सूचना ग्राह्य की जाये।

(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

विषय क्र. 11. शासन के आदेशानुसार शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,नीमच का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,नीमच किया गया एतद् सूचनार्थ। (पत्र की छायाप्रति संलग्न)

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि उक्त सूचना ग्राह्य की जाये।

(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

विषय क्र. 12. एसओईटी की विभिन्न प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरण के क्रय करने पर विचार।

टीप :–उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एसओईटी की स्थापना वर्ष 2011 में हुयी है, लेकिन एसओईटी की विभिन्न प्रयोगशालाओं में कई आवश्यक उपकरणों का क्रय किया जाना हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैं :–

1.	मेकेनिकल प्रयोगशाला	रुपये 1470324/–
2.	सिविल प्रयोगशाला	रुपये 1466917/–
3.	इलेक्ट्रिकल प्रयोगशाला	रुपये 1017154/–
4.	इलेक्ट्रानिक्स प्रयोगशाला	रुपये 1335700/–
	कुल योग	**रुपये 5290095/–**

2. यहां उल्लेखनीय है कि पूर्व में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.03.2013 एवं पुन: कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.08.2014 में उपकरण क्रय करने के प्रस्ताव को मान्य किया गया था, लेकिन पूर्व में उपकरणों का क्रय नहीं किया जा सका।

3. यहां विशेष तौर से उल्लेखनीय है कि प्रत्येक प्रयोगशाला में लगने वाले आवश्यक उपकरणों के क्रय की अनुशंसा विभागीय समिति द्वारा की गयी है तथा एसओईटी के विभागीय बजट मद 56(41)(3)6 उपकरणों हेतु राशि रुपये 57.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

4. अतः एसओईटी के विभिन्न प्रयोगशालाओं हेतु नियमानुसार रुपये 5290095/– के उपकरणों का क्रय करने की प्रशासकीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार एसओईटी की विभिन्न प्रयोगशाला हेतु नियमानुसार रूपये 5290095/– के उपकरणों के क्रय करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन–भंडार/लेखा/एस.ओ.ई.टी. विभाग)

विषय क्र. 13. अखिल भारतीय कालिदास समारोह, 2016 में होने वाले व्यय रूपये 7.85 लाख की कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति देने बाबत्।

टीप :–उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अखिल भारतीय कालिदास समारोह, 2016 का आयोजन दिनांक 10.11.2016 से 16.11.2016 तक किया जाना है। इस समारोह हेतु विश्वविद्यालय के बजट वर्ष 2016–17 में आयोजनेत्तर मद में रुपये 6.50 लाख का प्रावधान किया गया है। इस समारोह के आयोजन के लिये म.प्र. शासन, भोपाल द्वारा भी विश्वविद्यालय को शैक्षणिक कार्यक्रम हेतु प्रतिवर्ष रुपये 2.50 लाख का अनुदान भी स्वीकृत किया जाता है। वर्ष 2016–17 हेतु अभी यह अनुदान विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन पूर्ण संभावना है कि यह अनुदान राशि विश्वविद्यालय को शीघ्र ही प्राप्त हो जावेंगी।

2. इस समारोह के सुचारू रूप से आयोजन के लिये निम्नलिखित मदों में अनुमानित व्यय होगा :–

1.	संस्थापन	35000/–	
2.	आवास एवं भोजन	300000/–	
3.	यात्रा एवं मानदेय व्यय		100000/–
4.	यातायात एवं वाहन आदि व्यय		20000/–
5.	स्टेशनरी एवं मुद्रण पर व्यय		30000/–
6.	फर्नीचर एवं उपकरण पर व्यय		45000/–
7.	विशेषांक प्रकाशन एवं मेडल पर व्यय		40000/–
8.	विक्रम कालिदास पुरूस्कार पर व्यय	25000/–	
9.	छात्रीय प्रतियोगिताएँ एवं पुरस्कार पर व्यय	50000/–	
10.	पोस्टेज		20000/–
11.	आकस्मिक		20000/–
12.	अन्य विविध व्यय	60000/–	
13.	मंच, हार, फूल, लाइट, माईक, फोटो एवं आयोजन स्थान व्यवस्था		40000/–
	कुल योग		**7,85,000/–**

3. चूंकि समारोह का आयोजन दिनांक 10.11.2016 से 16.11.2016 तक होना है, अतः राशि रुपये 6.85 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति माननीय कुलपतिजी से प्राप्त कर राशि रुपये 3.00 लाख का अग्रिम सचिव, कालिदास समिति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को स्वीकृत किया गया है, ताकि समारोह का आयोजन सुचारू रूप से हो सकें।

4. अतः अखिल भारतीय कालिदा समारोह, 2016 के आयोजन हेतु प्रस्तावित अनुमानित व्यय 6.85 लाख की कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि अखिल भारतीय कालिदास समारोह, 2016 के आयोजन पर हुये व्यय रूपये 7.85 लाख की कार्यात्तर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन–प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्र. 14. इतिहास विषय में डॉ.गुलनाज़ तंवर को डि.लिट. उपाधि प्रदान करने पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि उक्त सूचना ग्राह्य की जाये।

(क्रियान्वयन–गोपनीय विभाग)

विषय क्र. 15. शैक्षणिक सत्र 2016–17 के लिए संविदा/अतिथि विद्वानों को अकादमिक कार्य सम्पादित करने हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में एतद् सूचनार्थ।

टीप :– शैक्षणिक सत्र 2016–17 के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयीन अध्ययनशालाओं एवं संस्थानों में शैक्षणिक आवश्यकतानुसार संविदा/अतिथि विद्वानों को आमंत्रित करने हेतु स्वीकृत पदों के विरूद्ध विभागाध्यक्षों द्वारा अनुशंसित अतिथि विद्वानों को अकादमिक कार्य संपादित करने हेतु आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु जारी आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2016/1428,दिनांक 15.09.016, क्रमांक 1551, दिनांक 03.10.016, एवं क्रमांक/1549,दिनांक 03.10.016, कार्यपरि ाद् के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि उक्त सूचना ग्राह्य की जाये।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्र. 16. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्क संबंध में हुयी टंकण त्रुटी में सुधार करने पर विचार।

टीप :–उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 08.03.2016 को आयोजित परीक्षा एवं अन्य शुल्क निर्धारण समिति की बैठक में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में संचालित विभिन्न अध्ययनशालाओं, शैक्षणिक विभागों एवं संस्थाओं में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, शोध पाठ्यक्रमों, एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये नवीन शुल्क संरचना जो अकादमिक सत्र 2015–16 से लागू होनी थी, को लाूग करने की अनुशंसाओं का अनुमोदन वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.03.16 एवं विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 18.03.16 की अनुशंसाओं को कार्यपरिषद् की बैठक दिनाक 26.03.16 में दिये गये अनुमोदन उपरांत अधिसूचना क्रं./1212, दिनांक 06.04.16 के द्वारा प्रसारित की गयी।

2. यहां उल्लेखनीय है कि नवीन शुल्क संरचना अन्तर्गत तैयार किये गये परीक्षा शुल्क पत्रक (परिशिष्ट 'अ') में कम्प्यूटर टंकण त्रुटि होने से उनमें सुधार किया जाना अति–आवश्यक है। इसी प्रकार स्टूडेंट सर्विस शुल्क पत्रक (परिशिष्ट 'ब') के सरल क्रं.–01 में दर्शायी विश्वविद्यालय ट्यूशन फीस प्रति सेमेस्टर रुपये 95/– को विलोपित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि पूर्व वर्षो में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ट्यूशन फीस में वृद्धि करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है तथा विद्यार्थियों के लिये अतिरिक्त रेमिडियल क्लास की व्यवस्था भी विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की जा रही है, अतः समिति की द्वितीय आयोजित बैठक दिनांक 07.11.16 में समिति द्वारा पूर्व में जारी नवीन शुल्क संरचना संबंधी परीक्षा शुल्क पत्रक (परिशिष्ट 'अ') का पुनः विस्तृत रूप से अवलोकन कर, कुल 23 कम्प्यूटर टंकण त्रुटियां सुधार करने की अनुशंसा की गयी तथा पत्रक मे सुधार कर पुनः संशोधित परीक्षा शुल्क संरचना संबंधी पत्रक तैयार किया गया। इसी प्रकार विद्यार्थी सर्विस शुल्क पत्रक (परिशिष्ट 'ब') के सरल क्रं.–01 में दर्शित विद्यार्थी फीस को विलोपित करने की भी अनुशंसा समिति द्वारा की गयी तथा तद्नुसार पत्रक के योग में भी परिर्वतन को मान्य किया गया।

3. विश्वविद्यालय में अध्यापन वर्ष 2016–17 की विभिन्न सेमेस्टरों की परीक्षायें माह नवम्बर, 2016 के अंत तक प्रारम्भ होना है, अतः संशोधित परीक्षा शुल्क संबंधी पत्रक को ऑनलाईन अपलोड करना आवश्यक है, ताकि छात्र–छात्राऐं अपनी परीक्षा शुल्क निर्धारित समय पर संशोधित परीक्षा शुल्क संबंधी पत्रक में दर्शाये शुल्क अनुसार जमा कर सकें, अतः समिति द्वारा संशोधित परीक्षा शुल्क संरचना संबंधी पत्रक (परिशिष्ट 'अ') एवं विद्यार्थी सर्विस शुल्क पत्रक (परिशिष्ट 'ब') अनुसार ऑनलाईन जानकारी अपलोडिग करने की अनुशंसा इस शर्त के साथ करती है कि आगामी कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.11.2016 में इन दोनों संशोधित पत्रकों का कार्योत्तर अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जावें।

4. अतः परीक्षा एवं अन्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नवीन शुल्क संरचना संबंधी संशोधितपत्रक (परिशिष्ट 'ब' एवं 'ब') के कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्क संबंध में हुयी टंकण त्रुटी में सुधार का प्रस्ताव मान्य किया गया। साथ ही उक्त प्रस्ताव समन्वय समिति की स्थाई समिति की ओर सूचनार्थ भेजे।

(क्रियान्वयन–लेखा विभाग)

विषय क्र. 17. सत्र 2016–17 के लिए रासेयो विशेष शिविर एवं नियमित गतिविधि हेतु रासेयो युक्त संस्थाओं को रूपये 43,62,600/– के अग्रिम की प्रशासकीय/भुगतान की वित्तीय स्वीकृति दिये जाने पर विचार।

टीप :–उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. /287/रासेयो/16/38, भोपाल दिनांक 19–10–2016 के अनुसार सत्र 2016–17 मे विक्रम परिक्षेत्र के 77 महाविद्यालयों में 90 रासेयो इकाई में 8950 छात्रसंख्या एवं 137 विद्यालयों में 147 रासेयो इकाई में 13650 छात्रसंख्या का आवंटन किया गया है। इस प्रकार कुल 237 इकाईयों में 22600 छात्रसंख्या का आवंटन किया गया है।

2. म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संलग्न वित्तीय ब्यौरा पत्र क्र. 465 दिनांक 13 सितम्बर 2011 एवं 439 दिनांक 18.09.2015 के अनुसार प्रत्येक इकाई हेतु आवंटित छात्रसंख्या की आधी छात्रसंख्या विशेष शिविर हेतु मान्य होती है तथा प्रतिछात्र 450/– रूपये 07 दिवस के विशेष शिविर हेतु स्वीकृत किया जाता है। इसी प्रकार म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संलग्न वित्तीय ब्यौरा पत्र क्रं./465 दिनांक 13 सितम्बर 2011 एवं क्रं./439 दिनांक 18.09.2015 के अनुसार महाविद्यालय/विद्यालय को प्रति रासेयो स्वयंसेवक राशि 86.50 (छियासी रूपये पचास पैसे) निम्नानुसार देय हैं :–

1.	स्वल्पाहार	रूपये 70.00
2.	स्टोर मरम्मत	रूपये 3.00
3.	अंशकालिक कार्यालयीन सहायता	रूपये 5.00
	कुल योग	**रूपये 86.50**

3. उक्त राशि प्रति स्वयंसेवक की दर से आवंटित छात्र संख्या 100 की इकाई को रुपये 8650/– एवं एक ही संस्था में एक से अधिक रासेयो इकाई होने पर 100 छात्रसंख्या की द्वितीय इकाई को राशि 8450/– एवं 100 छात्रसंख्या की तृतीय इकाई को राशि 8350/–एवं 50 छात्र संख्या की इकाई को राशि 4325/– दी जाना है।

4. यहां विशेष तौर से उल्लेखनीय है कि पांच जिलों के जिला संगठक को इकाई निरीक्षण एवं विशेष शिविर निरीक्षण हेतु यात्रा के लिए 3,000/– प्रति जिला संगठक की दर से पांच जिला संगठक के प्राचार्य को ई–पेमेंट द्वारा कुल 15,000/– रुपये अग्रिम दिये जाना है।

5. अतः सत्र 2016–17 में विक्रम परिक्षेत्र के महाविद्यालयों एवं ओपन यूनिट में स्थापित रासेयो इकाई को 17,32,500/– रूपये एवं विद्यालयो मे स्थापित रासेयो इकाई को 17,77,500 रूपये कुल 17,32,50017,77,500त्र35,10,000/– (पैंतीस लाख दस हजार मात्र) को अग्रिम दिये जाने तथा नियमित गतिविधि हेतु सत्र 2016–17 मे विक्रम परिक्षेत्र के महाविद्यालयों, विद्यालयों, ओपन यूनिट एवं 05 जिला संगठकों के प्राचार्य को ई–पेमेंट द्वारा

3,67,8004,84,800त्र8,52,600 (आठ लाख बावन हजार छः सौ मात्र) इस प्रकार कुल राशि रूपये 43,62,600/– रासेयो विशेष शिविर एवं नियमित गतिविधि मद से अग्रिम प्रदाय किए जाने की प्रशासकीय/भुगतान की वित्तीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार सत्र 2016–17 के लिये रासेयो विशेष शिविर एवं नियमित गतिविधि हेतु रासेयो युक्त संस्थाओं को रूपये 4362600/– के अग्रिम की प्रशासकीय/भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन–एनएसएस/लेखा विभाग)

विषय क्र. 18. विश्वविद्यालय में गोपनीय एवं परीक्षा विभाग के कार्यो को अतिरिक्त समय/अवकाश के दिनों में लेखा विभाग के कर्मचारियों द्वारा सम्पादित करने पर पारिश्रमिक के भुगतान की स्वीकृति पर विचार।

टीप :–उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.06.07 के पद क्रं.–24 में लिये गये निर्णयानुसार गोपनीय एवं परीक्षा विभाग में कार्यरत/संयोजित शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को निम्नानुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता हैं :–

1. मुख्य समन्वयक को रुपये 165/– के स्थान पर रुपये 250/– प्रतिदिन
2. समन्वयक को रुपये 140/– के स्थान पर रुपये 200/– प्रतिदिन
3. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव को रुपये 100/– के स्थान पर रुपये 150/– प्रतिदिन
4. अनुभाग अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को रुपये 115/– प्रतिदिन
5. तृतीय श्रेणी कर्मचारी को रुपये 60/– के स्थान पर रुपये 75/– प्रतिदिन
6. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रुपये 45/– के स्थान पर रुपये 60/– प्रतिदिन

2. तत्पश्चात् माननीय कुलपति एवं कुलसचिव कार्यालय मे कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 08.09.09 के पद क्रं./13 में लिये गये निर्णयानुसार रुपये 75/– एवं 60/– प्रतिदिन के मान से भुगतान किया जा रहा है।

3. यहां उल्लेखनीय है कि पूर्व वर्षो से लेखा विभाग में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा कार्यालय समय के उपरांत एवं अवकाश के दिनो में कार्यालय आकर गोपनीय एवं परीक्षा कार्य से संबधित नस्तियों का समय पर निराकरण किया जा रहा है तथा लेखा विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गोपनीय/परीक्षा विभाग में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा कुलपति एवं कुलसचिव कार्यालय मे कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भांति रुपये 115/– तथा 75/– एवं 60/– प्रतिदिन के मान से पारिश्रमिक का भुगतान हो रहा है, इसी प्रकार लेखा विभाग में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जो बजट कार्य में संलग्न रहकर, बजट तैयार करने का कार्य सम्पादित करते है, को नियमित तृतीय श्रेणी को रुपये 75/– (रुपये 50/– कुशल श्रेणी कर्मचारियों को) एवं नियमित चतुर्थ श्रेणी को रुपये 60/– (रुपये 40/– अकुशल श्रेणी कर्मचारियों को) प्रतिदिन के मान से अधिकतम दो माह के लिये बजट भत्ते के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है, अतः लेखा विभाग के छः तृतीय एवं दो चतुर्थ श्रेणी इस प्रकार कुल आठ कर्मचारियों को किये जा रहे पारिश्रमिक भुगतान एवं उक्त बताये अनुसार बजट कार्य सम्पादित करने वाले तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को

अधिकतम दो माह के बजट भत्ते की स्वीकृति कार्यपरिषद् से लिये जाने के लिये प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय में गोपनीय/परीक्षा विभाग के कार्यो को अतिरिक्त समय एवं अवकाश के दिनों में लेखा विभाग के कुल 08 कर्मचारियों (06 तृतीय एवं 02 चतुर्थ श्रेणी) द्वारा सम्पादित करने पर प्रतिमाह देय निर्धारित पारिश्रमिक के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रस्ताव अनुसार बजट कार्य सम्पादित करने वाले तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अधिकतम दो माह के बजट भत्ते (निर्धारित पारिश्रमिक अनुसार) स्वीकृति करने की अनुमति दी जाती है।

(क्रियान्वयन–लेखा विभाग)

विषय क्र. 19. राज्य शासन के कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ते की संशोधित दरों को विश्वविद्यालय में मान्य करने पर विचार।

टीप :–उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य शासन के पत्र क्र. /एफ–4–2/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 05.11.2016 द्वारा राज्य शासन के अधिकारी एवं कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ते की दरों एवं देय भत्तों की दरों में संशोधन कर नवीन दरें जारी आदेश दिनांक
01.11.2016 या उसके पश्चात् की गयी यात्राओं पर लागू होगी।
2. यहां उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में म.प्र. यात्रा भत्ता नियम लागू है, अत राज्य शासन द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक 01.11.2016 या उसके पश्चात् की गयी यात्राओं पर विश्वविद्यालय में लागू किये जाने के लिये प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। कार्यपरिषद् से प्रस्ताव मान्य होने पर प्रस्ताव समन्वय समिति के समक्ष विचारार्थ भेजा जावेगा। समन्वय समिति से मान्य होने पर यह लाभ विश्वविद्यालय में मान्य किया जावेगा।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि राज्य शासन पत्र क्रमांक/एफ–4–2/2016/नियम/चार भोपाल दिनांक 05.11.2016 के अनुसार विक्रम विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ते की संशोधित दरों को यथा मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन–प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्र. 20. विश्वविद्यालय के शिक्षकों को छठवे वेतनमान के एरियर की तृतीय किश्त का भुगतान किये जाने पर विचार।

टीप :–उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि **राज्य शासन के आदेश क्रं./एफ–1/10/2016/38–3 भोपाल, दिनांक 16.11.2016 द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक, अधिकारी एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों को तृतीय किश्त का भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये है।**जारी आदेश में यह भी उल्लेखनीय है कि संबधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को तृतीय किश्त का भुगतान की गयी राशि का प्रमाण–पत्र वचन–पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में दिनांक 30.11.2016 तक अनिवार्य रूप से संचालक, उच्चशिक्षा को उपलब्ध करायेंगे, जिससे भुगतान की गयी राशि की 80 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति हेतु कार्यवाही की जा सकें।

2. यहां उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित/सेवानिवृत्त शिक्षकों को पूर्व में दो किश्तों में 66 प्रतिशत छठवे वेतनमान की एरियर राशि रुपये 5,19,31,175/– का भुगतान किया जा चुका हैं। विश्वविद्यालय को राज्य शासन से आज दिनांक तक छठवे वेतनमान के एरियर राशि की प्रतिपूर्ति के रूप में राशि रुपये 4,26,93,000/– प्राप्त हो चुके है। शेष राशि रुपये 2,13,45,653/–– विश्वविद्यालय को भेजने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा अपने पत्र क्रं. /लेखा/2016/159, दिनांक 26.07.16 एवं पत्र क्रं./लेखा/2016/294, दिनांक 08.09.2016 से राज्य शासन को अनुरोध किया गया है।

3. चूंकि राज्य शासन के उक्त आदेशानुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों को तृतीय किश्त की राशि का भुगतान करने के निर्देश दिये जा चुके है, अतः विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित/सेवानिवृत्त शिक्षकों को छठवे वेतनमान के एरियर की तृतीय किश्त की शेष 34 प्रतिशत राशि के भुगतान करने की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि राज्य शासन के आदेश क्र./एफ–1/10/2016/38–3 भोपाल दिनांक 16.11.2016 द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों को तृतीय किश्त के भुगतान करने के निर्देश दिये गये हैं। अतः प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित/सेवानिवृत्त शिक्षकों को छठवें वेतनमान के एरियर की तृतीय किश्त की शेष 34 प्रतिशत राशि के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन–प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्र. 21. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में डब्ल्यू.पी/1153/2005 में पारित आदेश दिनांक 27.10.2016 के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा न्यायाधीकरण का गठन किये पर विचार।

टीप :–भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.1980 के परिपालन में विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक/विकास/81/8325–27,दिनांक 17.02.1981 के द्वारा तीन सदस्यीय ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। परन्तु किसी कारणवश कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पई। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ,इंदौर द्वारा न्यायाधीकरण का पुर्नगठन किये जाने हेतु आदेशित किया गया है एवं यह गठन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.10.2016 से तीस (30) दिवस की अवधि में अनिवार्य रूप से किया जाना है। ट्रिब्यूनल के गठन हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में तीन सदस्यीय ट्रिब्यूनल का गठन किया जाये सदस्य निम्नानुसार रहेंगे :–

1 श्रीशशिमोहन श्रीवास्तव, सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश उज्जैन
2 श्री लालसिंह भाटी, सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश, इन्दौर
3 श्री एस. एन. द्विवेदी, सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश, भोपाल (9425127855)

प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री के. सी. शर्मा, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश (विधिक सलाहकार, विश्वविद्यालय) एवं डॉ. डी. के. बग्गा रहेंगे।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

बैठक की पूरक कार्यसूची

विषय क्र.01. विश्वविद्यालय की वर्ष 2016–17 की विभिन्न परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले परीक्षार्थियों के प्रकरणों पर विचार करने हेतु समिति के गठन पर विचार।

निर्णय :– **निर्णय लिया गया कि** विश्वविद्यालय की वर्ष 2016–17 की विभिन्न परीक्षाओं में अनुचित साधनो का उपयोग करने वाले परीक्षार्थियों के प्रकरणों पर विचार करने हेतु गठित समिति के प्रस्ताव को यथा मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन–गोपनीय विभाग)

विषय क्र.02. विश्वविद्यालय के प्रवेश सूचना संबंधी विज्ञापन हेतु मध्यप्रदेश माध्यम,भोपाल को रूपये 8,87,890/– के भुगतान की स्वीकृति पर विचार।

टीप :–उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2016–17 मे विश्वविद्यालय में प्रवेश सूचना संबंधी विज्ञापन म.प्र. माध्यम, भोपाल के द्वारा राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय समाचार–पत्रों में छपवाया गया था। म.प्र. माध्यम, भोपाल से निम्नानुसार दो देयक भुगतान हेतु प्राप्त हुये हैं :–

1. देयक क्रं./83668, दिनांक 15.09.2016 रुपये 783317/–
2. देयक क्रं./84381, दिनांक 21.10.2016 रुपये 104573/–

कुल योग **रुपये 887890/–**

2 अतः म.प्र. माध्यम, भोपाल को रुपये 887890/– के भुगतान की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के प्रवेश सूचना संबंधी विज्ञापन हेतु म.प्र. माध्यम, भोपाल के देयक कं./83668 दिनांक 15.09.2016 तथा कं./84381 दिनांक 21.10.2016 की कुल राशि रूपये 887890/– के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन–लेखा विभाग)

विषय क्र.03. विश्वविद्यालय में क्रय किये गये माइक्रोसाफ्ट साफ्टवेयर लाईसेंस राशि रूपये 6,24,226/–के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय मे क्रय किये गये माइक्रो साफ्ट लाईसेंस की राशि रूपये 624226/– के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन–लेखा विभाग)

विषय क्र.04. दिनांक 26.09.2016 एवं 24.11.2016 को आयोजित भवन समिति के कार्य–विवरण पर विचार। (कार्यविवरण संलग्न)

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि दिनांक 26.09.2016 एवं 24.11.2016 को आयोजित भवन समिति के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया जाता है।

(क्रियान्वयन–.यांत्रिकी विभाग)

विषय क्र.05. डॉ. रामेश्वर सोनी,उपाचार्य,वाणिज्य अध्ययनशाला के सवैतनिक अवकाश स्वीकृति पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि डॉ. रामेश्वर सोनी, उपाचार्य,वाणिज्य अध्ययनशाला के संवैतनिक अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार।

विषय क्र.01. विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों कों अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों कों अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं को यथा मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्र.02. शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन एवं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन से सेवानिवृत्त शिक्षक/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति उपरान्त ग्रेज्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के पालन पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन एवं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन से सेवानिवृत्त शिक्षक/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति उपरान्त ग्रेज्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन करते हुये प्रस्ताव को मान्य किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में इसे उदाहरण ना माना जावे।

(क्रियान्वयन–प्रशासन/लेखा विभाग)

विषय क्र.03. डॉ.पी.के.वर्मा,आचार्य,भौमिकी अध्ययनशाला के दिनांक 24.08.016 से दिनांक 28.10.016 तक (दो माह चार दिन) के अतिरिक्त स्वत्वभार (लियन) की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि डॉ.पी.के.वर्मा,आचार्य,भौमिकी अध्ययनशाला के दिनांक 24.08.016 से दिनांक 28.10.016 तक (दो माह, चार दिन) के अतिरिक्त स्वत्वभार (लियन) की स्वीकृति विश्वविद्यालय अधिनियमों का पालन करते हुए प्रस्ताव मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्र.04. डीएमसी इर्मजडाटा सर्विस नागपुर से प्राप्त पत्र EMD/2016ध11ध54एदिनांक 22/11/16 विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम संबंधी कार्य करने हेतु प्रस्ताव दिया है जो केवल नवम्बर–दिसम्बर 2016 तक मान्य रहेगा पर विचार।

निर्णय :– उक्त प्रस्ताव के संबंध में मुख्य प्रस्ताव क. 05 पर लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावे।

(क्रियान्वयन–परीक्षा/गोपनीय विभाग)

विषय क्रं.05. विश्वविद्यालय पुस्तकालय में आरटीडी लेब स्थापित करने हेतु व्यय रुपये 10.00 लॉख की प्रशासकीय स्वीकृति दिये जाने पर विचार।

टीप :–उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध थीसिस को इन्फ्लीबनेट की शोध गंगा योजना के अन्तर्गत डिजीटल फार्म में परिवर्तित किया जाना है, इस हेतु आरटीडी लेब की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। यह कार्य करवाना विश्वविद्यालय के लिये यूजीसी मापदण्डों को पूर्ण करने हेतु अति–आवश्यक है। इस लेब के स्थापित होने पर छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये कार्य राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर उपयोगी होंगे। इस लेब के स्थापित होने पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति इन्फ्लीबनेट से होगी। लेब स्थापित करने पर निम्नलिखित उपकरणों का नियमानुसार क्रय किया जाना आवश्यक होगा :–

क्रं.	**उपकरण का नाम**	**संख्या**	**अनुमानित राशि**
1.	डेस्कटॉप कम्प्यूटर	05 नग	1,50,000/–
2.	लेपटॉप कम्प्यूटर	01 नग	40,000/--
3.	सर्वर	01 नग	1,50,000/–
4.	हेवीड्यूटी फोटोकापी मशीन	01 नग	4,50,000/–
5.	ऑनलाईन यूपीएस	02 नग	1,75,000/–
6.	लेन सेटप	–	35,000/--
	कुल योग		**10,00,000/–**

2. अतः उक्त बताये अनुसार राशि रुपये 10.00 लाख के उपकरण नियमानुसार क्रय करने की प्रशासकीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में आरटीडी लेब स्थापित करने के लिये नियमानुसार आवश्यक उपकरण क्रय करने हेतु होने वाले व्यय रूपये 10.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन–पुस्तकालय/विकास विभाग)

विषय क्र.06. विश्वविद्यालय में रूसा कम्पोनेट–03 (विश्वविद्यालय को इन्फ्रास्ट्रेक्चर अनुदान)के अन्तर्गत लेब उपकरणों तथा पुस्तकों/जर्नलस/ई–रिर्सोस आदि तथा अन्य मदों में नवीन सुविधा एवं उपकरणो के क्रय की प्रशासकीय स्वीकृति पर विचार।

टीप :– उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय में रूसा कम्पोनेट–03 (विश्वविद्यालय को इन्फ्रास्ट्रेक्चर अनुदान) के अन्तर्गत लेब उपकरणों तथा पुस्तकों/जर्नलस/ई–रिर्सोस हेतु क्रमशः रुपये 200.00 लाख एवं 300.00 लाख का प्रावधान किया गया है। यद्यपि अभी विश्वविद्यालय को रूसा कम्पोनेट–03 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय हेतु राशि प्राप्त नहीं हुयी है, लेकिन इस बात की पूर्ण संभावना है कि विश्वविद्यालय को रूसा कम्पोनेट–03 के तहत् रुपये 20.00 करोड़ प्राप्त हो सकते है, अतः प्रारम्भिक तैयारियों को दृष्टिगत रखते हुये रूसा कार्य योजना पर विचार–विमर्श करने हेतु गठित समिति की आयोजित बैठक दिनांक 02.12.2016 मे समिति द्वारा यह अनुशंसा की गयी है कि लेब उपकरणों हेतु कुल 22 अध्ययनशालाओं से प्राप्त उपकरणों की सूची तथा पुस्तकों हेतु कुल 10 अध्ययनशालाओं से प्राप्त पुस्तकों की सूची अनुसार उपकरणों/पुस्तकों को नियमानुसार क्रय करने की प्रशासकीय स्वीकृति आगामी कार्यपरिषद् से ली जावें। समिति द्वारा यह भी अनुशंसा की गयी है कि लेब उपकरणों/पुस्तकों के मद में रूसा कम्पोनेट–03 के अन्तर्गत राशि प्राप्त होने पर, प्राप्त राशि अनुसार तकनीकी समिति एवं पुस्तकालय समिति द्वारा क्रमशः आवश्यक लेब उपकरणों तथा विभागाध्यक्षों की मांग अनुसार आवश्यक पुस्तकों की सूची को अतिम रूप देते हुये नियमानुसार क्रय करने की कार्यवाही की जावें।

2. गठित समिति का यह भी मानना है कि रूसा कम्पोनेट–03 में निम्नलिखित मदों मे प्रावधानित बजट की स्थिति इस प्रकार हैं :–

1. लाईब्रेरी रुपये 50.00लाख Development of New Facility & Purchase of Equipments
2. कम्प्यूटर सेंटर/ई.सी. रुपये 50.00 लाख– उपरोक्तानुसार –
3. स्पोर्ट फेसिलिटीज रुपये 50.00 लाख– उपरोक्तानुसार –

समिति द्वारा यह अनुशंसा की गयी है कि तकनीकी समिति की अनुशंसा अनुसार इन तीनों मदों में प्रावधानित बजट राशि तक के व्यय की प्रशासकीय स्वीकृति कार्यपरिषद् से ली जावें।

3. अतः उक्त बताये प्रस्ताव अनुसार लेब उपकरणों हेतु कुल 22 अध्ययनशालाओं से प्राप्त उपकरणों की सूची तथा पुस्तकों हेतु कुल 10 अध्ययनशालाओं से प्राप्त पुस्तकों की सूची अनुसार प्राप्त राशि की सीमा तक तकनीकी समिति एवं पुस्तकालय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत ही उपकरणों/पुस्तकों को नियमानुसार क्रय करने की तथा तकनीकी समिति की अनुशंसा अनुसार बिन्दु क्रं.–02 में दर्शाये विभिन्न मदों में प्रावधानित बजट तक व्यय करने की प्रशासकीय स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय में रूसा कम्पोनेट–03 (विश्वविद्यालय को इन्फ्रास्ट्रेक्चर अनुदान) के अंतर्गत लेब उपकरणों तथा पुस्तकों/जर्नलस/ई–रिर्सोस आदि तथा अन्य मदों में नवीन सुविधा एवं उपकरणों के नियमानुसार क्रय की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है

(क्रियान्वयन–रूसा सेल विभाग)

विषय क्र.07. विश्वविद्यालय के स्कुल ऑफ इंजि. एण्ड टेक्नोलाजी के छात्र–छात्राओं के उपयोगार्थ व्हीकल शेड का निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

टीप :– विक्रमविश्वविद्यालय परिसर स्थित स्कूल आफ इंजि.एण्ड टेक्नोलाजी के छात्र– छात्राओं की समस्या को दर्शाते हुए विभागीय अनुशंसानुसार भवन के सामने वाहनों हेतु व्हीकल शेड का निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। जिस हेतु अनुमोनित व्यय रू. 13.00 लाख होगा।

अतः स्कुल ऑफ इंजि.एण्ड टेक्नोलाजी के छात्र–छात्राओं के वाहनों हेतु व्हीकल ोड के निर्माण हेतु राशी रू. 13.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरि ाद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि स्कुल ऑफ इंजि.एण्ड टेक्नोलाजी के छात्र–छात्राओं के वाहनों हेतु व्हीकल स्टेंड के निर्माण हेतु राशी रू. 13.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन–विकास / लेखा / यांत्रिकी विभाग)

विषय क्र.08. श्री क्षमाशील मिश्रा की नियुक्ति पर विचार।

टीपः– सम्माननीय सदस्य श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा लाया गया प्रस्ताव।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में विधिक राय सहित विस्तृत चर्चा एवं दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्र.09. प्रबंध संकाय के पीएचडी प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित करने का प्रस्ताव माननीय मनोनित सदस्यों के द्वारा उठाया गया, पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि प्रबंध संकाय पीएचडी प्रवेश परीक्षा के परिणाम से संबंधित सभी आपत्ति एवं अन्य पहलुओं की संपूर्ण जांच हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :–

1	डॉ. एच. पी. सिंह	–आचार्य, सांख्यिकी
2	डॉ. एम. एस. परिहार	–आचार्य, प्राणिकी
3	डॉ. एच. एस. राठौर	–संकायाध्यक्ष

उपरोक्त समिति 10 से 15 दिवस में अपना प्रतिवेदन माननीय कुलपतिजी को प्रस्तुत करेगी।

(क्रियान्वयन–प्रशासन / गोपनीय विभाग)

विषय क्र.10. स्कुल ऑफ इंजि. एण्ड टेक्नोलाजी के सुचारू संचालन हेतु तथा छात्र / छात्राओं के लिये नवीन छात्रावासों का निर्माण एवं आडिटोरियम का निर्माण करने पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि स्कुल ऑफ इंजि. एण्ड टेक्नोलाजी के सुचारू संचालन हेतु तथा छात्र / छात्राओं के लिये नवीन छात्रावासों का निर्माण एवं आडिटोरियम का निर्माण हेतु नियमानुसार म.प्र. शासन या भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के संबंध में माननीय कुलपतिजी को अधिकृत किया जाता है।

(क्रियान्वयन–विकास / यांत्रिकी / लेखा विभाग)

बैठक के अंत में सम्माननीय सदस्य श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा माँ शारदा महाविद्यालय, श्यामगढ़ मंदरौर को बगैर संबद्धता शुल्क लिये तीन वर्षो तक छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के बारे में समिति गठित कर आगामी बैठक में संपूर्ण प्रकरण को रखे जाने का निर्णय लिया गया। सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय को समिति गठित कर कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया।

माननीय कुलपतिजी द्वारा निर्देश दिया कि कार्यपरिषद की बैठक का पालन प्रतिवेदन आगामी कार्यपरिषद की बैठक मे रखा जाये।

बैठक की समाप्ति के पूर्व मध्यप्रदेश के पूर्व महामहिम राज्यपाल स्व. श्री रामनरेश यादव जी के निधन पर सदन द्वारा शोक प्रस्ताव पारित कर उनके प्रति संवेदनाऐं एवं श्रृद्धांजलि अर्पित की गई। तद्उपरान्त अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव